



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान
KADAR NAWAZ KHAN
कुलसचिव
REGISTRAR

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-230903

पत्रांक : 006/Estt./2014-15/38/Voll.II/6629
दिनांक : 02.07.2017

कार्यालय आदेश

कार्य-परिषद की 59वीं बैठक दिनांक 23.06.2017 की मद सं. 04 में लिए गए निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय के रोस्टर को अंतिम रूप देने के लिए निम्नांकित समिति गठित की गई :

- | | | |
|---|---|------------|
| 1) प्रो. आर.एस. सर्राजू (सदस्य, कार्य-परिषद) | : | अध्यक्ष |
| 2) प्रो. प्रेम सी. पतंजलि (कार्य-परिषद से प्रतिनिधि) | : | सदस्य |
| 3) प्रो. मनोज कुमार (वर्तमान लॉयज़न ऑफिसर, म.गां.अं.हिं.वि.) | : | सदस्य |
| 4) प्रो. एल. कारुण्यकरा (पूर्व लॉयज़न ऑफिसर, म.गां.अं.हिं.वि.) | : | सदस्य |
| 5) डॉ. बी.के. महापात्रा | : | सदस्य |
| (पूर्व कुलसचिव, श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली) | | |
| 6) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से प्रतिनिधि | : | सदस्य |
| 7) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से प्रतिनिधि | : | सदस्य |
| 8) अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से प्रतिनिधि | : | सदस्य |
| 9) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्रतिनिधि | : | सदस्य |
| 10) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रतिनिधि | : | सदस्य |
| 11) कुलसचिव, म.गां.अं.हिं.वि. | : | सदस्य-सचिव |

यह समिति विश्वविद्यालय की स्थापना काल से अब तक हुई समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक नियुक्तियों तथा बैकलॉग को ध्यान में रखते हुए कम से कम तीन माह तथा अधिकतम छः माह की अवधि में रोस्टर को अंतिम रूप देगी।

समिति की बैठकों की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों की 75% उपस्थिति आवश्यक होगी।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)
02/07/17

प्रति- समस्त संबंधित

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा
2. प्रतिकुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा
3. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा
4. प्रभारी, लीला, म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली